न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40 / 2021

अपीलांट–

1. गंगादेवी पुत्री कलाराम पत्नी तेजाराम के कायम मुकाम
   1.1 बलवंता पुत्र गंगादेवी
   1.2 देउ पुत्री गंगादेवी
   1.3 बाबूलाल पुत्र गंगादेवी
   1.4 जगमाल पुत्र गंगादेवी
   1.5 रतनाराम पुत्र गंगादेवी
   1.6 नरपत पुत्र गंगादेवी
   1.7 ममता बेन पुत्री गंगादेवी
   1.8 तेजाराम पति गंगादेवी
   जाति भील निवासी पादरड़ी हाल सिलू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी
2. अणछी पत्नी रिडमल
3. करनाराम पुत्र रिडमल
4. भीमा पुत्र रिडमल
5. गणेशा पुत्र भारता
6. गेना पुत्र भारता
7. लाखा पुत्र भारता
8. गेना पुत्र मंजी
9. प्रागा पुत्र धूंका
10. मथरा पत्नी धूंका
11. खेता पुत्र छोगा
12. लूंगों पत्नी छोगा जाति भील निवासी पादरड़ी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
13. मेनेजर, एसबीआई शाखा गुडामालानी
14. मेनेजर, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश पादरड़ी के नामान्तरकरण सं. 313 स्वीकृति दिनांक 07.02.1983 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर

उपस्थिति :–

1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 13 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।
4. रेस्पों. संख्या 02 से 12 एवं 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पादरड़ी तहसील गुडामालानी के नामान्तरकरण सं. 313 पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.02.1983 के विरूद्ध दिनांक 20.10.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा पादरड़ी के खसरा नम्बर 19, 35, 124, 125, 143, 204 व 305 की भूमि कला व भारता पि0 भूदरा साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का तहसीलदार गुडामालानी द्वारा नामान्तरकरण सं. 313 दिनांक 07.02.1983 को स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा पादरड़ी के खसरा नम्बर 19, 35, 124, 125, 143, 204 व 305 की भूमि कला व भारता पि0 भूदरा साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। अपीलकर्ता के पिता कला पुत्र भूदरा के सन 1983 में फौत होने से पूर्व अपीलकर्ता की माता वरजूदेवी पत्नी कला एवं बडी बहन चम्पा पुत्री कलाराम का देहान्त हो चुका था, जिससे अपीलकर्ता एक मात्र मुतवफी कला की जाईन्दा जीवित पुत्र होन से खेत खसरा नबंर 19, 35, 124, 125, 143, 204 व 305 मौजा पादरड़ी तहसील गुडामालानी में मुतवफी भूदरो के आधे हिस्से में बहेसियत खातेदार कृषक के रूप में काबिज हुई एवं शेष आधे हिस्से मं मुतवफी भारता पुत्र भूदरा के नाम रहा। परंतु हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार गुडामालानी ने बिना कला पुत्र भूदरा के उतराधिकारियों की जांच किए एवं बिना मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त की जांच किये अपीलकार्ता को अपने पिता कला से प्राप्त उतराधिकारी अधिकार से महरूम रखने की नियत से अपीलकर्ता को

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपनी पैतृक कदीमी अपने पिता कला के बंट की भूमि को छल कपट एवं धोखे से हड़पने एवं अपीलकर्ता को अपनी पिता की कदीमी कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों से वंचित करने के आशय से कानूनी प्रकिया के विपरीत एवं धोखे एवं छल की नियत से भारता पुत्र भूदरा के नाम पारित नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 ग्राम पादरड़ी तहसील गुडामालानी को कानूनी प्रकिया के विपरीत, विधि विरुद्ध भारता पुत्र भूदरा के पक्ष में भरकर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से कानूनन व इंसाफत भूल की है, जिससे आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन में यह भी प्रकट किया है कि अपीलकर्ता अनपढ एवं गरीब, ग्रामीण महिला है, जो आजतक अपने पिता कलाराम के बंट की भूमि पर अपनी खातेदारी दर्ज होना समझती आ रही थी। क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता के गांव पादरड़ी एवं ससुराल सिलू तहसील गुडामालानी आती जाती रहती है। अपीलकर्ता ने जब सुना कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में गांव–गांव प्रशासन आकर सभी खातेदारों के बंटवाडे होते हैं, तब अपीलकर्ता ने सोचा कि अपीलकर्ता को अपने पिता कला पुत्र भूदरा की फौतगी पर प्राप्त खातेदारी भूमि का बंटवाडा करले ताकि सेढे बाबत कभी भी तनाजा नहीं रहे तथा कृषि अनुदान प्राप्त होता रहे। तब अपीलकर्ता ने हल्का पटवारी सिन्धासवा हरनियान से अपने पैतृक कदीमी खातेदारी के खसरों की नकल देने को कहा तब पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलकर्ता के पैतृक खातेदारी के खेत मौजा पादरड़ी व पादरड़ी कला में अपीलकर्ता का खातेदारी में नाम दर्ज नहीं है और कला पुत्र भूदरा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 भारता पुत्र भूदरा अकेले के नाम पारित होने से अपीलकर्ता खातेदार दर्ज नहीं है। तब हल्का पटवारी सिन्धासवा हरनियान द्वारा नामान्तरकरण संख्या 313 गांव पादरड़ी एवं उपरोक्त खेतान की जमाबंदी की नकल दिनांक 05.10.2021 को ली, इससे पूर्व अपीलकर्ता को नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 के पारित होने का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलकर्ता को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 05.10.2021 को होने से यह अपील ज्ञान की तिथि से अंदर म्याद पेश की गई है। फिर भी अपील को प्रस्तुत करने जो विलंब हुआ है वह सद्भावि विलम्ब है, जिसे क्षमा किए जाने हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट सं. 2 से 12 एवं 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया कि राजस्व

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

रेकर्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार बैंक द्वारा ऋण प्रदान कर भूमि रहन रखी गई है। ऐसे में बैंक के हितों को सुरक्षित रखते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित किया जावे।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पादरड़ी के खसरा नम्बर 19, 35, 124, 125, 143, 204 व 305 की भूमि कला व भारता पि0 भूदरा साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। अपीलकर्ता के पिता कला पुत्र भूदरा के सन 1983 में फौत होने से पूर्व अपीलकर्ता की माता वरजूदेवी पत्नी कला एवं वडी बहन चम्पा पुत्री कलाराम का देहान्त हो चुका था, जिससे अपीलकर्ता एक मात्र मुतवफी कला की जाईन्दा जीवित पुत्र होन से खेत खसरा नबंर 19, 35, 124, 125, 143, 204 व 305 मौजा पादरड़ी तहसील गुडामालानी में मुतवफी भूदरो के आधे हिस्से में बहेसियत खातेदार कृषक के रूप में काबिज हुई एवं शेष आधे हिस्से मं मुतवफी भारता पुत्र भूदरा के नाम रहा। परंतु हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार गुडामालानी ने बिना कला पुत्र भूदरा के उतराधिकारियों की जांच किए एवं बिना मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त की जांच किये अपीलकार्ता को अपने पिता कला से प्राप्त उतराधिकारी अधिकार से महरूम रखने की नियत से अपीलकर्ता को अपनी पैतृक कदीमी अपने पिता कला के बंट की भूमि को छल कपट एवं धोखे से हड़पने एवं अपीलकर्ता को अपनी पिता की कदीमी कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों से वंचित करने के आशय से कानूनी प्रकिया के विपरीत एवं धोखे एवं छल की नियत से भारता पुत्र भूदरा के नाम पारित नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 ग्राम पादरड़ी तहसील गुडामालानी को कानूनी प्रकिया के विपरीत, विधि विरुद्ध भारता पुत्र भूदरा के पक्ष में भरकर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित कर दिया गया।अपीलकर्ता अनपढ एवं गरीब, ग्रामीण महिला है, जो आजतक अपने पिता कलाराम के बंट की भूमि पर अपनी खातेदारी दर्ज होना समझती आ रही थी। क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता के गांव पादरड़ी एवं ससुराल सिलू तहसील गुडामालानी आती जाती रहती है। अपीलकर्ता ने जब सुना कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में गांव–गांव प्रशासन आकर सभी खातेदारों के बंटवाडे होते हैं, तब अपीलकर्ता ने सोचा कि अपीलकर्ता को अपने पिता कला पुत्र भूदरा की फौतगी पर प्राप्त खातेदारी भूमि का बंटवाडा करले ताकि सेढे बाबत कभी भी तनाजा नहीं रहे तथा कृषि अनुदान प्राप्त होता रहे। तब अपीलकर्ता ने हल्का पटवारी सिन्धासवा हरनियान से अपने पैतृक कदीमी खातेदारी के खसरों की नकल देने को कहा तब पटवारी हल्का ने

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

बताया कि अपीलकर्ता के पैतृक खातेदारी के खेत मौजा पादरड़ी व पादरड़ी कला में अपीलकर्ता का खातेदारी में नाम दर्ज नहीं है और कला पुत्र भूदरा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 भारता पुत्र भूदरा अकेले के नाम पारित होने से अपीलकर्ता खातेदार दर्ज नहीं है। तब हल्का पटवारी सिन्धासवा हरनियान द्वारा नामान्तरकरण संख्या 313 गांव पादरड़ी एवं उपरोक्त खेतान की जमाबंदी की नकल दिनांक 05.10.2021 को ली, इससे पूर्व अपीलकर्ता को नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 07.02.1983 के पारित होने का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलकर्ता को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 05.10.2021 को होने से यह अपील ज्ञान की तिथि से अंदर म्याद पेश की गई है। फिर भी अपील को प्रस्तुत करने जो विलंब हुआ है वह सद्भावि विलम्ब है, जिसे क्षमा किए जाने हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलकर्ता को अपने पिता कला से प्राप्त उतराधिकारी अधिकार से वंचित रखते हुए उक्त नामान्तरकरण भरने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 313 दिनांक 07.02.1983 को अपास्त किया जाता है। इसके साथ तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस एवं सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रकिया पूर्ण संपन्न करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलेक्टर,
बाड़मेर